

मुख्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय भाखरपुरा

—:: आदेश ::—

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(मुकदमा नम्बर 95/21 अनवान कृष्णकुमार बनाम मांगीलाल)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भाखरपुरा व भू.अ.नि रतनपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लवंगी नगर तहसील गुड़ामालानी व जिला बाडमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2078 से स्थायी में खाता संख्या 10 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लवंगी नगर	10	210, 275	किशनलाल पुत्र खंगारा	किशनलाल उर्फ कृष्णकुमार पुत्र खंगाराराम

(प्रमोद कुमार) 12/10/21
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी लानी
लोक अदालत
प्रशासन उपखण्ड के संग अभियान 2021
पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी/आदेल
दिनांक- 12/10/21

क्रमांक - 40-42
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार गुड़ामालानी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कृष्णकुमार पुत्र खंगाराराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावाली।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी लानी
लोक अदालत
प्रशासन उपखण्ड के संग अभियान 2021
पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी/आदेल

12/10/21

